कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए

अराई, (निसं)। अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ने गुरूवार को भोगादीत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई की तथा ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। वही मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत सरपंच ऊषा भगवत सिंह ने जिला कलेक्टर को गाँव की समस्याओं से अवगत कराया। जनसुनवाई के दौरान गाँव में जलापूर्ति नियमित व पर्याप्त नही होने तथा विधुत विभाग द्वारा विधुत कनेक्शन देने में लापरवाही करने की शिकायत दी। इस पर जिला कलेक्टर ने विधुत विभाग को तीन दिन में पेंडिंग कनेक्शन का समाधान कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने व पीएचडी के अधिकारियों को जलापूर्ति नियमित व उचित करने के निर्देश दिए। वही ग्रामीणों ने बताया कि माला और भोगादीत स्कूल में स्टाफ की कमी की समस्या और प्रधानमंत्री आवास योजना के भुगतान नही होने की समस्याएं भी सामने आई जिस पर कलेक्टर ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ग्राम पंचायत भोगादीत के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र पर काबिज अतिक्रमण को हटाने की तथा उप स्वास्थ्य केंद्र का पट्टा जारी करने की मांग की वही भोगादीत के ग्रामीणों ने नदी क्षेत्र में हो रहें अतिक्रमण को हटाने की मांग की जिस पर जिला कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदार को को उचित कार्यवाही करने को कहा।

अजमेर कलेक्टर अंशदीप ने जनसुनवाई में समस्याएं सुनकर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया।

इसके अलावा सड़क, अतिक्रमण सहित अन्य मामले भी सामने आये जिसका जिस पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। माला गाँव में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर तारबंदी के बावजूद प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत दी गई तथा बताया कि पूर्व में उक्त मामले में अतिक्रमण कारियों के खिलाफ शिकायतें पुलिस व प्रशासन को दी जा चुकी है। माला के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केन्द्र पर काबिज अतिक्रमण को हटाने की मांग की। जनसुनवाई के दौरान लगभग 30 शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी खेमाराम यादव, तहसीलदार हनुमान प्रसाद, विकास अधिकारी पुरूषोत्तम पारीक, सहायक विकास अधिकारी सत्यनारायण लड्ढा, विधुत विभाग से एईन मनोज बंसल, जलदाय विभाग से कनिष्ठ अभियंता, महबूब अली, सहायक कृषि अधिकारी हेतराम जाट, गिरदावर भंवर सिंह खंगारोत, पटवारी, राजेन्द्र चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार, ब्लॉक सीएम एच ओ डा अनुज पिंगोलिया, डॉ विनोद सैनी एलडीसी धनराज आदि मौजूद थे।

■ ग्रामीणों ने पानी, विद्युत, स्कूल स्टॉफ की कमी आदि समस्या बताई

ग्रामीणों ने नदी क्षेत्र में व्याप्त अतिक्रमण की जिला कलेक्टर को शिकायत दी गई जिसके बाद उपखण्ड अधिकारी खेमाराम यादव व तहसीलदार हनुमान प्रसाद ने नदी क्षेत्र का अवलोकन किया तथा अतिक्रमण की स्थिति देखी।

शिविर में 96 बुजुर्गों को छड़ी बांटी गई

अजमेर, (कासं)। समाज का वो तबका जो सबसे सेवा लेने का हकदार है, आज अपने ही उम्रदराज साथियों को वाकिंग स्टिक देकर उनकी सेवा कर रहा है। ये उद्गार भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के प्रदेश प्रभारी सुरेश मेहरा ने 96 सीनियर सिटीजन छड़ी बांटते हुए मुख्य अतिथि के रूप में कही। के के गौड ने बताया कि वे आज मन्ना हवेली में सीनियर सिटीजन धोलाभाटा द्वारा आयोजित कैम्प में छड़ी वितरण के लिए आये हुए थे। अध्यक्षता करते हुए बीके चौहान ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही प्रभु सेवा है। प्रारम्भ में विशिष्ठ अतिथि सीनियर अधिवक्ता अनिता चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पहले 5 वरिष्ठों को अपने हाथ से छड़ियाँ वितरित की।

आज के शिविर में 126 व्यक्ति आये जिसमें से योग्यता के आधार पर 96 बुजुर्गों को छड़ी बांटी गई। सभी छड़ी पानेवालों ने सीनियर सिटीजन सोसाइटी धोलाभाटा का हृदय से आभार जताया और कहा कि ये संस्था प्रतिमाह आयुर्वेदिक कैम्प द्वारा हमारी चिकित्सा भी करती है और एक महीने की नि:शुल्क दवा भी देती है। शिविर में श्रीलाल, हरलाल, विजय सिंह, दलजीत, निरंजन, प्रेमलता, जे पी शर्मा, बलबीर सिंह, मुकेश माथुर आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शिविर की सफल योजना और कुशल संचालन के के गौड़ ने किया।

शिक्षा व वित्तीय पहलुओं पर बाल पंचायत कार्यक्रम आज

अजमेर, (कास)। सिटी वन इनिशिएटिव और क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू) महिला जन अधिकार समिति अजमरे के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय एडीआर सेन्टर संयोगिता नगर के सभागार में बाल पंचायत कार्यक्रम का आयोजन होगा।

सिटी वन इनिशिएटिव के संस्थापक शिवांश आहूजा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर, क्राई-चाइल्ड राइट्स एंड यू दिल्ली व महिला जनअधिकार समिति के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार सामाजिक पहल बाल विवाह से जुड़े शिक्षा, सामाजिक असुरक्षा व वित्तीय पहुलओं पर बाल पंचायत कार्यक्रम का आयोजन संयोगिता नगर स्थित एडीआर सेंटर में प्रात: 11 से 1 बजे तक आयोजित होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अंशदीप होंगे।

आहूजा ने बताया कि अजमेर जिले के ठाामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों की बाल पंचायत का आयोजन जाएगा। पंचायत में ठाामीण क्षेत्र के बालक बाल विवाह, बालिका शिक्षा आदि के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष नाटक, पोस्टर व बातचीत के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सामान्यत: बाल अधिकारों को लेकर बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सभाएं, सरकारी अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण करते रहे हैं, लेकिन बाल अधिकारों को लेकर जहां बालक ही केन्द्र में हो उनकी संवेदनाओं को कभी भी नहीं सुना गया एवं न ही उन्हें महसूस किया गया।

ऐसी स्थिति में जबकि अपनी आबादी का एक तिहाई हिस्सा बालकों का है और उनकी संवेदनाओं को हमारी सरकारी मशीनरी एवं विधायिका अगर नहीं समझ पाए तो उनके संबंध में बनाए जाने वाले कानून व नियम अप्रासंगिक नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में आयोजित होने वाली बाल पंचायत में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, बाल विवाह अधिकारी, बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के सदस्य तथा बालकों के हितों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

संक्षिप्त

भीलवाड़ा में कोरोना के सात नए संक्रमित

भीलवाडा, (निसं)। शहर के साथ-साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण अपने पैर तेजी से पसार रहा है। गुरुवार को भी गुलाबपुरा और उपनगर पुर से भी 3-3 और शहर से एक संक्रमित सामने आया है। इनमें एक किशोर और किशोरी भी शामिल हैं। आरआरटी टीम प्रभारी डॉ. घनश्याम चावला ने बताया कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसके चलते संदिग्धों की जांच की जा रही है। इसी जांच में गुरूवार को सात और नए संक्रमित सामने आए हैं। डॉ चावला ने बताया कि संक्रमितों मे गुलाबपुरा से 25, 26 और 30 साल के तीन युवक जबकि शहर के सुभाषनगर से 65 वर्षीय महिला, उपनगर पुर से 13 साल का किशोर, 16 साल की किशोरी और 43 साल की महिला पॉजिटिव मिली है। उन्होंने बताया कि गुलाबपुरा व सुभाषनगर से सामने आए संक्रमितों में सर्दी-जुकाम के लक्षण थे जबकि पुर के तीनों संक्रमितों में किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं पाए गए। किशोर को छोडकर शेष सभी को पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।

नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा

मसुदा, (निसं)। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में प्रतिशत अंक न्यूनतम समाप्त करने को लेकर परीक्षार्थियों ने मसूदा नायाब तहसीलदार धर्मराज राठोडिया को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा। परीक्षार्थियों ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बेसिक कंप्यूटर परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक न्यूनतम तय की गई थी लेकिन पहली बार हुई परीक्षा में कई विसंगतियां रही दोनों प्रश्नपत्र बहुत कठिन थे। बड़े प्रश्न होने व कम समय अवधि के कारण 90प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थियों के कई प्रश्न हल करने से छूट गए जिसके चलते ज्ञापन में 40प्रतिशत अंक की न्यूनता समाप्त करने की मांग की है। जापान के दौरान मनीष कुमार छिपा रवीना व्यास सहित कई परीक्षार्थी मौजूद रहे।

आवेदन की अंतिम तिथि कल

मसूदा, (निसं)। मसूदा स्थित राजकीय महाविद्यालय में नवीन सत्र 2022-2023 के लिये बी.ए. प्रथम वर्ष के ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया ई मित्र द्वारा जारी है। आवेदन पत्र भरने के लिये अंतिम तिथि 9 जुलाई है। प्राचार्य डॉ. निधि अग्रवाल ने बताया कि इच्छुक छात्र-छात्राऐं ई मित्र पर पंहुचकर आवेदन पत्र पत्र भरने की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करें अन्यथा बी. ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश से वंचित रहना पडेगा।

रफीक खान आज अजमेर में

अजमेर, (कासं)। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान शुक्रवार दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस अजमेर पहुंचने के बाद दोपहर एक बजे दरगाह की जियारत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक लेंगे। खान द्वारा दोपहर 4 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी। इसके बाद वे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

'पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ' अभियान शुरू

भीलवाडा, (निसं)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड भीलवाडा के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में संचालित स्काउट इको क्लब द्वारा गुरूवार को वयोवृद्ध स्काउट लीडर मदन लाल शर्मा, समाजसेवी एडवोकेट आजाद शर्मा के आतिथ्य में विद्यालय प्रांगण में अशोक के पौधे लगाकर 'पेड लगाओ पर्यावरण बचाओ' अभियान का शुभारंभ किया गया। स्काउट इको क्लब प्रभारी एवं सचिव स्काउट गाइड स्थानीय संघ प्रेम शंकर जोशी के अनुसार विद्यालय के पूर्व छात्र एवं सीनियर स्काउट पवन बावरी के जन्मदिन के अवसर पर पौधे लगाये गये। अभियान के तहत प्रत्येक स्काउट, गाइड द्वारा एक-एक पौधा लगाकर उसकी सार संभाल की जाएगी। इस अवसर पर प्रथम सहायक नाहर सिंह मीणा, वरिष्ठ अध्यापिका सुषमा पालीवाल सहित स्काउट गाइड व अन्य छात्र उपस्थित थे।

अहंकार रखने वाले के हृदय में भगवान नहीं बसते : रामानंद शास्त्री

पुष्कर, (निसं)। जो भी कार्य करे सभी भगवान को अर्पण करे। जब ही भगवान भक्त के हृदय में बसते है। जैसे भक्त ध्रूव के मन में भगवान के प्रति भक्ति थी बाल्यकाल में ही भगवान भक्त ध्रूव को प्राप्त हो गए। यह उद्गार गिरिशनन्द आश्रम के महंत ओर कथा वाचक रामानंद शास्त्री ने कथा के दूसरे दिन उपस्थित भक्तो से कहे।

कथा व्यास रामा नंद शास्त्री ने कहा कि मन को शुद्ध रखने से भगवान हमारे हृदय में आएंगे, मन की चंचलता दूर होगी व हानि लाभ भगवान पर छोड़ दो अहंकार को त्याग दो भगवान की कृपा स्वत ही मिलनी हो जाएगी। धन, विद्या, रूप, बल का जिसने अहंकार किया तो भगवान ने उसका अहंकार तोड़ा है।

इस दौरान शिक्षाविद ठाकुर प्रसाद, विष्णु पाराशर, आनंद लाल भाटी ने भी कथा में पहुँचकर कथा व्यास का माला ओर शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया।

कथा व्यास का माला ओर शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया तथा भागवतजी की आरती भक्तगणों ने की।

कथा के दूसरे दिन सती प्रसंग, दक्ष की कथा धुर्व प्रसंग, भक्त की महिमा समझाई। आश्रम के व्यवस्थापक कमल शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन यह कथा दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाती है यह कथा आगामी 13 जुलाई तक चलेगी साथ ही 13 जुलाई को विशाल भंडारे का आयोजन भी रखा गया है इस कथा को सुनने के लिए पंजाब और हरियाणा से भी कई भक्तों पुष्कर पहुंचे । कथा में संगीत दिनेश पाराशर द्वारा दिया गया है। ऑर्गन पर राघव पाराशर, तबले पर कृष्णपल, साइड रिदम पर केशव शर्मा अपनी संगत दे रहे हैं।

तत्कालीन सिटी थानाधिकारी का कोर्ट ने अग्रिम जमानत पत्र खारिज किया

नसीराबाद, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा गत 6 अप्रैल को तत्कालीन सिटी थाना अधिकारी भंवर सिंह गौड के खिलाफ ट्रैप की कार्यवाही करने के दौरान शिकायतकर्ता को ही शांति भंग के आरोप में बंद कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के वॉइस रिकॉर्डर को क्षतिग्रस्त किए जाने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी द्वारा सिटी थाना में ही भँवर सिंह गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जिसकी जांच नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक पूनम भरगढ़ को दी गई वही रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले एक अन्य मामले में भंवर सिंह गौड को अजमेर पुलिस रेंज आईजी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद से ही निलंबित सिटी थाना अधिकारी भंवर सिंह गौड़ पुलिस की पहुंच से बाहर चल रहे थे। वही गत शनिवार को निलंबित सिटी थाना अधिकारी भंवर सिंह गौड़ की ओर से नसीराबाद एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसपर अपर लोक अभियोजन अधिकारी राजेश शुकरीया ने जानकारी देते हुए बताया कि भंवर सिंह गौड की ओर से लगाए गए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायलय ने गत 5 जुलाई मंगलवार को मामले की जांच अधिकारी नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश देते हुए प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु 7 जुलाई की तारीख दी गई।

■ 5 जुलाई को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे

वही गौरतलब है कि सिटी थाना अधिकारी के तानाशाह पूर्ण कार्यवाही करने सहित भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति से शहरवासी पिछले काफी समय से परेशान थे। जिसकी उच्चाधिकारियों को लगातार शिकायतें की जा रही थी। वही तत्कालीन सिटी थाना अधिकारी भंवर सिंह गौड को सेवानिवृत्ति से चंद दिन पहले निलंबित किए जाने पर निलंबित तत्कालीन सिटी थाना अधिकारी भंवर सिंह गौड़ की कार्यप्रणाली से पीडित शहरवासियों ने उच्चाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए खुशी जाहिर की थी। गुरुवार 7 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मसूदा क्षेत्र का किया दौरा

अजमेर, (कास)। अजमेर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने बुधवार को मसूदा में नवसृजित एवं स्थापित किए जाने वाले सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए भूमि एवं भवन का चिन्हीकरण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी के मसूदा पहुंचने पर मसूदा के अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण एवं साफा बंधा कर स्वागत किया। तत्पश्चात जिला एवं सेशन न्यायाधीश भाटी ने न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि का निरीक्षण किया साथ ही न्यायालय को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए अस्थाई भवन के बारे में भी जानकारी ली। न्यायाधीश भाटी ने उपखंड अधिकारी संजू मीणा एवं तहसीलदार ओम सिंह लखावत को न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि का मौका निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर भूमि एवं भवन के संबंध में वस्तुस्थिति एवं पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाने के निर्देश दिए ताकि न्यायालय यथाशीघ्र शुरू किया जा सके। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने मसूदा सरपंच पुष्पकांत धूत के पति गोविंद प्रकाश धूत से भी न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि एवं यथाशीघ्र न्यायालय शुरू करने के लिए अस्थाई भवन आदि के बारे में चर्चा की।

मुख्य सचिव ने वीसी से आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए

अजमेर, (कासं)। जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों पर आयोजित हुई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीसी के माध्यम से जुड़कर आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

जिला कलैक्टर अंश दीप ने बताया कि सरकार द्वारा जन अभियोग निराकरण के सम्बन्ध में जनसुनवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था जिले की समस्त 325 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गुरूवार को आयोजित की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था प्रथम गुरूवार को आयोजित की जाती है। पंचायत स्तरीय जनसुनवाई के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। समस्त नोडल अधिकारी सम्बन्धित उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायतों पर उपस्थित रहे।

■ ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की उच्च स्तर से सीधे मॉनिटरिंग की गई। गुरूवार को मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्राम पंचायतों की वीसी के माध्यम से जुड़कर निगरानी रखी। उनके द्वारा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की गगवाना, जवाजा की सुहावा तथा पीसांगन की जेठाना ग्राम पंचायतों से जुड़ा गया। ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई के सम्बन्ध में कि गई व्यवस्थाओं के बारे में जानाकारी ली।

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत पंहुचाने के लिए जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। समस्त अधिकारियों को जनसुनवाई में उपस्थित रहना आवश्यक है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों को पंजीकृत कर हाथों-हाथ निस्तारित करने की दिशा में कार्य करने से जनसुनवाई की सार्थकता है।

1857 की क्रांति विषय पर निबंध लेखन व पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता

नसीराबाद, (निसं)। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति विषय पर निबंध लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में 11 स्कूलों के 64 बच्चों ने भाग लिया।

उपखंड अधिकारी राकेश गुप्ता प्राचार्य रमेश मीणा तथा उप प्राचार्य देवेंद्र कुमार सुकरिया के निर्देशन में प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता संयोजक के रूप में शिक्षिका रुचि अचरा कैलाश चंद बेरवा एवं अंबिका राठोड़ हीरालाल मीणा एवं विद्यालय के अन्य अध्यापकों की

प्रतियोगिता के आधार पर निबंध लेखन व पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में तीन-तीन विद्यार्थियों को विजेता घोषित किया।

उपस्थिति में सफल प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत निर्णायक मंडल के रूप में राज कुमार चतुर्वेदी, उषा मिश्रा, रंजना नंबियार आए और उन्होंने बच्चों की प्रतियोगिता के आधार पर निबंध लेखन व पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में तीन तीन विद्यार्थियों को विजेता घोषित किया।

■ प्रतियोगिता में 11 स्कूलों के 64 बच्चों ने भाग लिया

यह दोनों प्रतियोगिता जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक दर्शना शर्मा की देखरेख में आयोजित हुई। निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान खुशी आहूजा, द्वितीय स्थान रति गौड़ व तृतीय स्थान नेहा मेघवंशी व पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान खुशबू, द्वितीय स्थान दिव्यांशी सांखला व तृतीय स्थान योगिता मीणा एवं शबनम को दिया गया।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

आम सूचना

मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त पंजीकृत हक त्याग के आधार पर वारिस के नाम भूमि के बदले भूमि में आवंटन/मांग पत्र जारी करने बाबत

भूमि के बदले भूमि आवंटन समिति की बैठक दिनांक 11.01.2008 में लिये गये निर्णय अनसार श्री चैन सिंह को भूखण्ड संख्या ए-72 क्षेत्रफल 200 व.ग पृथ्वीराज नगर योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया था, भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी होने से पूर्व ही श्री चैन सिंह की मृत्यु दिनांक 14.10.2017 हो गई है मृतक के वारिसों द्वारा पंजीकृत हक त्याग दिनांक 12.04.2022 के द्वारा वारिस 01 श्रीमती सम्पत कंवर पत्नी 02 श्री कुलदीप सिंह पुत्र 03 श्रीमती अंजु जेतावत पुत्र श्री द्वारा अपने सगे भाई श्री जयदीप सिंह राठौड़ के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया है। श्री जयदीप सिंह राठौड़ द्वारा आवंटन पत्र चाहा गया है। अत: श्री जयदीप सिंह राठौड के नाम उक्त भूखण्ड का मांग पत्र/आवंटन आदि की कार्यवाही की जाने में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मय दस्तावेजों के शपथ पत्र सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपनी लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अवधि समाप्ति के पश्चात कोई भी उजर दावा स्वीकार नही किया जायेगा एंव उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र एवं अन्य कार्यवाही प्रार्थी श्री जयदीप सिंह राठौड़ के पक्ष में कर दी जावेगी। जिसमें प्राधिकरण की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नही होगी। उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

प्रारुप-10

(नियम 6(7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ, अजमेर

लोक सूचना

क्रमांक/नपकि/प्रा.अ./कृ.भू.नि./2022/1218 दिनांक : 30.06.2022

आवेदक श्री कैलाशचन्द पुत्र श्री हरिबक्स जाति ब्राह्मण निवासी गेहलोत कालोनी मकराना तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
किशनगढ-अजमेर	सांवतसर	428/6	कुल क्षेत्रफल 1144.05 वर्गगज यानि 956.56 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान -राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनें के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .. को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर (राज.

क्रमांक : न.प.कि/PWC/2022/1004 दिनांक : 7.7.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नन्द कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वरलाल अग्रवाल द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज भूखण्ड सं. ई-27, ई-28, ई-29ए, क्षेत्रफल 469.44 वर्गगज, खसरा सं. लक्ष्मीनारायण विहार कालोनी मदनगंज किशनगढ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व में : भूखण्ड संख्या ई-26

पश्चिम में : भूखण्ड संख्या ई-30

उत्तर में : 30 आम रास्ता

दक्षिण में : भूखण्ड संख्या ई-34, ई-33, ई-32

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करें बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर (राज.)

क्रमांक : न.प.कि/PWC/2022/1016 दिनांक : 7.7.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री श्रवण लाल माली पुत्र श्री मंगल चन्द माली द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज भूखण्ड सं. 353-बी, क्षेत्रफल 150.00 वर्गगज, खसरा सं. 412, बजरंग कालोनी सरदार सिंह की ढाणी रोड मदनगंज किशनगढ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व : 20 आम रास्ता पश्चिम : शंकर लाल का मकान

उत्तर : नाथू लाल का मकान दक्षिण : भूखण्ड सं. 353-ए

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करें बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर (राज.

क्रमांक/नपकि/कृ.भूमि./2022/295 दिनांक : 7.7.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 949 पर स्थित पण्डित फतेहलाल नगरक के आवासीय (भूखण्ड सं. 116 क्षेत्र. 300.00 वर्ग. में से भू.सं. 116बी का पार्ट क्षेत्र. 150.00 वर्ग.) पर श्री दीपक दाधीच पुत्र श्री रामरतन शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण व विखण्डन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है:-

पूर्व में : भूखण्ड संख्या-117

पश्चिम में : इसी भूखण्ड का शेष भाग

उत्तर में : भूखण्ड संख्या -108

दक्षिण में : 30 फीट का रास्ता

अत: उक्त विखण्डन प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर (राज.

क्रमांक/नपकि/कृ.भूमि./2022/297 दिनांक : 7.7.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 949 पर स्थित पण्डित फतेहलाल नगरक के आवासीय (भूखण्ड सं. 116 क्षेत्र. 300.00 वर्ग. में से भू.सं. 116ए का पार्ट क्षेत्र. 150.00 वर्ग.) पर श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामरतन शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण व विखण्डन चाहा गया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है:-

पूर्व में : इसी भूखण्ड का शेष भाग

पश्चिम में : भूखण्ड संख्या -115

उत्तर में : भूखण्ड संख्या -108

दक्षिण में : 30 फीट का रास्ता

अत: उक्त विखण्डन प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ जिला-अजमेर (राज.)

क्रमांक : न.प.कि/PWC/2022/1018 दिनांक : 7.7.2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गीता देवी कालिया पत्नी श्री पूसालाल कालिया हेमलता राठी पत्नी श्री कैलाशचन्द राठी, सन्तोष मनिहार पत्नी श्री देवेन्द्र मनिहार, द्वारा राजस्व ग्राम मदनगंज भूखण्ड सं. 17 क्षेत्रफल 350.00 वर्गगज, खसरा सं. 441/2, 441/3/1, 441/3/2/1, 441/3/2/2, 441/3/3 फ्रेन्डस कालोनी खोडा गणेशजी रोड मदनगंज किशनगढ पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

पूर्व : 30 मीटर आम रास्तापश्चिम : भूखण्ड सं. 26

उत्तर : भूखण्ड सं. 16 दक्षिण : भूखण्ड सं. 18

अत: उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करें बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ

नगर पालिका, आसीन्द जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक न.पा.आ./भू.शा./2022-23/2094 दि. 04.07.2022

प्रारूप-5 (नियम (2) देखिए)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के अधीन नीचे वर्णित निम्नांकित आवेदकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि में अपने अधिकार आवासीय/व्यवसायिक पट्टा प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका आसीन्द के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

क्र स	नाम	पता	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौड़ाई सहित क्षेत्र (वर्गफिट में)
1	श्री सम्पत लाल खटीक पुत्र श्री मगन लाल खटीक	वार्ड नं. 05 नेगडिया रोड आसीन्द	गुलजार मो.	संजीदा बानू	आम रास्ता	खारी नदी	24X85 = 2040

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो यह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा/ निस्तारण किया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, आसीन्द